17/12/25	पत्रावली पेश। डिक्री बमुताबिक डिक्री अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी ने बयान किया कि डिक्री विवाद के प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री की जाती है तो कोई एतराज आपादित नहीं है अतः तहसीलदार चिड़ावा के प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री व नक्शा तैयार के फिर मय पासा बाकार शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के काबिल बस्ता है।